



की क्रम संख्या र तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
29/8/23	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>बिहारी प्रसाद, पिता स्व० लगन महतो, ग्राम-पतरा, पोस्ट-गोसाई बलिया, थाना-बड़कागांव, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-बड़कागांव, ग्राम-पतरा, थाना नं०-99, खाता संख्या-14, प्लॉट संख्या-8, 14, रकवा-28डी०, 16डी० कुल रकवा-44 डी० भूमि विनय कुमार, पिता स्व० गोवर्धन महतो, ग्राम-पतरा, पोस्ट-गोसाई बलिया, थाना-बड़कागांव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-281/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-1321/रा० दिनांक-21.03.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, बड़कागांव को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, बड़कागांव हजारीबाग के पत्रांक 534 दिनांक 21.03.2023 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, बड़कागांव हजारीबाग द्वारा जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है एवं एक ही जिला हजारीबाग के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदक को खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत लट्टु महतोवा छट्टु महतो वलद लाली महतो हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 19.90 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा 19.90 एकड़ है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-1321 पर लट्टु महतो वगै० के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं वर्ष 2022-23 तक लगान रसीद निर्गत है। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा/आवेदक के हिस्से की भूमि 3.30 एकड़ है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 2.86 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा की छायाप्रति प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहदी भी अंकित किया गया है।</p>	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के दिप्पणी तारीख
1	2	3
	<p>अंचल अधिकारी, बड़कागांव हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, बड़कागांव हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में बिहारी प्रसाद, पिता स्व० लगन महतो, ग्राम-पतरा, पोस्ट-गोसाई बलिया, थाना-बड़कागांव, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-बड़कागांव, ग्राम-पतरा, थाना नं०-99, खाता संख्या-14, प्लॉट संख्या-8, 14, रकवा-28डी०, 16डी० कुल रकवा-44 डी० भूमि विनय कुमार, पिता स्व० गोवर्धन महतो, ग्राम-पतरा, पोस्ट-गोसाई बलिया, थाना-बड़कागांव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">               अपर समाहर्ता, हजारीबाग।         </p> <p style="text-align: center;">               अपर समाहर्ता, हजारीबाग।         </p>	